

16/12/24

अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्तस्वयं उपर

अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन किया कि

पक्षकाराल के मध्य राजीनामा हो गया

है। उक्त अपील को आगे नहीं चलाना

चाहता हूँ। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर


अपील जरिये विद्रोह प्यालिज करमावे।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाना उक्त अपील जरिये

विद्रोह प्यालिज की जाती है। पत्रावली फौसल

शुमार ^{होत} नम्बर से कम होकर दायित्व करता है।


राजस्व अपील अधिकारी
पाली